[26/2/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 1079]

परिशिष्ट "अ"

जिला नरसिंहपुर, जिला सागर, जिला दमोह में महिला अपराध रोकथाम हेतु विस्तृत जानकारी

----000----

1. **जिला नरसिंहपुर,** में महिला अपराधो के विरूद्ध सामाजिक जनचेतना, महिला सुरक्षा, सायबर सुरक्षा हेतु जनजागरण अभियान के दौरान विभिन्न क्षेत्रो कॉलेज ,सार्वजनिक स्थल ,परिवहन के संसाधनो एव ग्रामिण क्षेत्रो में पोस्टर, कटआउट,, पम्पलेंट चस्पा किये तथा विभिन्न समूहो वर्गो से जागरूकता संवाद आयोजित कर छात्र–छात्राए परिवहन से जुडे व्यक्ति, व्यापारी वर्ग शहरी एवं ग्रामीण नागरिको से सवांद कर उन्हे दिशा निर्देश से जागरूक किया। अभियान में एक विशेष जागरूक रथ तैयार कराया जाकर क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए जागरूक गान का प्रसारण भी कराया गया। स्कूलों मे चित्रकला ,निबंध एव वाद–विवाद प्रतियोगिताए भी महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम व महिला सम्मान के दृष्टिकोण से आयोजित करायी गयी है। सोशल मीडिया प्रचार प्रसार के उपयोग से व्हाट्सअप, फेसबुक, आदि के माध्यम से भी सायबर अपराधो के प्रति जागरूकता कर प्रचार–प्रसार किया गया, तथा यूथ आईकॉन चिन्हित करते हुए उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित किया गया।

2. **जिला सागर** से प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला अपराधो के विरूद्ध सामजिक तथा महिला सुरक्षा हेतु जनचेतना अभियान पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार दिनांक 11.01.2021 से चलाया गया अभियान में मूल उदेद्श्य महिला का अपराधो से सुरक्षा करना और महिला अपराधो से जनता में जागरूकता बढाना, एवं महिला की सुरक्षा करने वाले व्यक्ति को असली हीरो के रूप में चयनित कर सम्मान करना । जिला सागर में अभियान के दौरान वेनर,पोस्टर , पम्पलेंट ,गुडडी कटआउटस, जागरूकता गान, जिला के विभिन्न स्थानों मे प्रदर्शित कराया गया एवं सेमीनार, स्कूल,कॉलेजों,निचली बस्तियों, आटो टेम्पों ,बस डायवर, कन्डेक्टर , सार्वजनिक परिवहन के साधनो, रेल्वे स्टेशनो ,बस स्टैड में लोगो एवं महिलाओं को जानकारी दी जाकर अपराधो की रोकथाम के हर संभव प्रयास किये जायेगें। सायबर सुरक्षा हेतु जन जागरूक अभियान में सागर जिले में महिलाओं को पत्र–पत्रिकाओ के माध्यम से सायबर अपराध धोखाधडी के विभिन्न प्रकार एवं उनसे बचाव के बारे में जागरूक किया।

3. **जिला दमोह** से प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला अपराधो के विरूद्ध सामाजिक तथा महिला सुरक्षा हेतु जनचेतना अभियान के दौरान रेल्वे स्टेशन ,बस स्टैड,भीड भाड वाले बाजार, स्कूल कॉलेज ,कोचिग सस्थांन , शासकीय कार्यालय , रहवासी कॉलोनियों तथा झुग्गी बस्तीयां , प्रमुख चौराहो पर एवं आटो टेम्पों ,बस डायवर, कन्डेक्टर ,सार्वजनिक परिवहन के साधनो पर महिला सुरक्षा संबधी होर्डिग एवं पोस्टर लगाये,। सायबर सुरक्षा हेतु जन–जागरण अभियान जिले में गर्ल्स के0एन0 कॉलेज ,जे0पी0बी0 गर्ल्स स्कूल ,एम0एल0बी0 गर्ल्स स्कूल,में छात्राओं को सायबर अपराध के विरूद्ध इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिये महिलाओं को सायबर सुरक्षा के संबध में जानकारी से जागरूक कराया गया। **1090 के माध्यम से हर प्रकरण में फीडबैक लिया जा रहा है। समी प्रकरणो से विशेष कर 376 भादवि के एवं पॉक्सो एक्ट 4/6 के प्रकरणो में चालानी कार्यवाही शीघ्र करायी जा रही है। पेट्रोंलिंग की व्यवस्था सुदृढ की गयी है। गंभीर श्रेणी के प्रकरणों को चिन्हित श्रेणी में रखकर लगातार समीक्षा की जा रही है। महिला संबंधी अपराधों के शेडो एरिया चिन्हित किए जाकर पेट्रोलिंग कराई जा रही है। महिला संबंधी अपराधों की समीक्षा पुलिस मुख्यालय स्तर पर लगातार की जाती है। व समय– समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे है।**

15/2/21

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग.